डीजी परिपत्र संख्या- 36 /2023

विजय कुमार
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ
दिनांक : लखनऊः सितम्बर 13 ,2023

प्रिय महोदय/महोदया,

प्रदेश में विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन के घटित होने वाले अपराधों पर नियंत्रण रखने एवं अपराधियों को मा0 न्यायालयों में अधिकाधिक सजा दिलाये जाने के दृष्टि से संलिप्त अपराधियों की तत्परता से गिरफ्तारी, विवेचनाओं की गुणवत्तापरक, निष्पक्ष एवं शीघ्र निस्तारण कराया जाना अति आवश्यक है।

आपके जोन/कमिश्नरेट से दिनांक 01-01-2023 से 31-07-2023 तक की प्राप्त आख्या/सूचना की मुख्यालय स्तर पर समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त कतिपय कमिश्नरेट/ जनपदों यथा-जनपद जौनपुर-14, कमिश्नरेट कानपुर-12, कौशाम्बी-11, कमिश्नरेट गाजियाबाद में 10 व सीतापुर में 09 अभियोग पंजीकृत किये गये हैं, जो सर्वाधिक हैं। अभी भी पंजीकृत अभियोगों में काफी संख्या में अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही तथा विवेचनात्मक कार्यवाही किया जाना शेष है।

आप सहमत होंगे कि इस प्रकार के अपराध तथा अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण न होने से जहां एक ओर अपराधियों को मा0 न्यायालय से बचने की संभावनायें रहती हैं, वहीं पीड़ित को समय से न्याय न मिलने से निराशा की भावना बलवती होती है। इस प्रकार की गतिविधियों से सामाजिक समरसता एवं सौहार्द प्रभावित होता है तथा साम्प्रदायिक तनाव एवं कानून-व्यवस्था की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

अतः प्रदेश में विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने हेतु निम्नांकित निर्देश दिये जाते हैं-

- कमिश्नरेट/जनपदों में पूर्व में घटित हुई इस प्रकार की समस्त घटनाओं की समीक्षा कर संगठित रूप से विधि विरूद्ध धर्म परिवर्तन कराने वाले अपराधियों को सूचीबद्ध कर उन पर सतर्क दृष्टि रखी जाय।
- इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर तत्परता से **"विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम, 2021"** में निहित प्राविधानों के अनुसार अभियोग पंजीकृत किया जाय। अभियोग की विवेचना में साक्ष्य संकलन कर अभियुक्त के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुये गुण-दोष के आधार विवेचनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
- **विधिक कार्यवाही का विश्लेषण व समीक्षाः-** अवैध धर्म परिवर्तन के प्रत्येक प्रकरणों की गहराई से समीक्षा किया जाय। घटना के सम्बन्ध में एफआईआर पंजीकृत करने में कितने दिन का विलम्ब हुआ? विलम्बित कार्यवाही से अभियुक्त को किस प्रकार का लाभ हुआ? पीड़िता/अपहृता की बरामदगी में कितना समय लगा? अभियुक्तों की गिरफ्तारी में कितना समय लगा? गिरफ्तारी हेतु क्या-क्या प्रयास हुये? मददगारों/सहयोगियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही हुई? पीड़िता/अपहृता की सुपुर्दगी का निर्धारण किस प्रकार किये गये? अभियुक्त कितने समय तक जेल में रहा? उक्त समस्त बिन्दुओं के दृष्टिगत विधि विरूद्ध धर्म परिवर्तन के प्रत्येक प्रकरणों की विवेचना हेतु प्रभावी कार्ययोजना तैयार करायी जाय, जिससे इस प्रकार की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।
- इस प्रकार की घटनाओं में पूर्व में प्रकाश में आये विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों व उनके संचालको की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखी जाय।

- ऐसे संस्थाओं/एजेन्सियों आदि की जानकारी एकत्रित की जाय, जो विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन से सम्बन्धित विवाह कराने की गतिविधि में संलिप्त हों।
- कमिश्नरेट/जनपदों में छद्म नामों से संचालित हो रहे विभिन्न सभाओं/गोष्ठियों की भी जानकारी प्राप्त की जाय, जो धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से आयोजित की जाती हैं। थाना क्षेत्रों में हो रही विभिन्न प्रार्थना सभाओं, आशीर्वाद सभाओं एवं अन्य धार्मिक/सांस्कृतिक आयोजनों की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखी जाय।
- विभिन्न वित्तीय संस्थानों तथा वित्तीय गतिविधियों के बारे में भी जानकारी की जाय, जो अवैध धर्म परिवर्तन के प्रकरणों में सक्रिय हैं तथा इन कार्यों में वह वित्तीय मदद भी उपलब्ध कराते हैं।
- हॉटस्पाट विश्लेषण (Hot Spot Analysis):- घटना स्थल का निर्धारण करने के उपरान्त धर्म परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों की समीक्षा के उपरान्त हॉटस्पॉट पाकेट्स के चिन्हींकरण की कार्यवाही सम्पादित की जाय। अत्यधिक घटना जनपद/परिक्षेत्र/जोन का चिन्हींकरण किया जाय। थाना प्रभारियों द्वारा अपने थाना क्षेत्रों में बीट/हल्का/पॉकेट्स/ मोहल्ला आदि को चिन्हित कर लिया जाय।
- **सक्रिय व सतर्क अभिसूचना तंत्रः**- जनपदों में स्थापित सोशल मीडिया सेल को इस मामले में सतर्क कर दिया जाय। इन प्रकरणों की सुरागरसी तथा पतारसी हेतु बीट के आरक्षियों, एन्टी रोमियो स्क्वाड, डायल-112, सर्विलांस सेल, क्राइम ब्रांच, वूमेन पावर लाइन-1090 आदि को सूचना संकलन एवं इस गतिविधि को रोकने हेतु ब्रीफिंग की जाय।
- इस प्रकार के अपराधों के प्रभावी रोकथाम हेतु आवश्यक है कि जनपद में अभिसूचना तंत्र को सक्रिय तथा प्रभावी कराया जाय।
- **पीड़िता का प्रोफाइल विश्लेषण (Profile Analysis Victim):**- धर्म परिवर्तन के प्रकरणों में अपहृता/पीड़िता के सम्पूर्ण प्रोफाइल का विश्लेषण किया जाय। अपहृता/पीड़िता की आयु/शिक्षा/जाति/परिवार का व्यवसाय/आय तथा परिवार में पूर्व में इस तरह की हुई घटना का उल्लेख किया जाय।
- **अभियुक्त के प्रोफाइल का विश्लेषण (Profile Analysis Accused):**- अवैध धर्म परिवर्तन के प्रकरणों में संलिप्त अभियुक्तों की सूची तैयार कर उनके सम्पूर्ण प्रोफाइल का भी विश्लेषण किया जाय, जिसमें अभियुक्त की आयु, शिक्षा, जाति, धर्म, व्यवसाय, आय, अभियुक्त का पूर्व आपराधिक इतिहास, अभियुक्त के मददगार/सहयोगी, विदेश में सम्बन्ध (Connections Abroad), विदेश मदद (Foreign Funding) की विधिवत जॉच कर अभिलेखीकरण कर लिया जाय।
- **संवाद तथा काउन्सलिंग** (Counselling):- जनपद में परिवार परामर्श केन्द्र की तरह काउन्सलिंग पटल का गठन किया जाय। धर्म गुरूओं, धार्मिक संस्थाओं के प्रमुख व्यक्तियों, महिला संगठनों व समाजसेवी संगठनों के साथ संवाद स्थापित कराते हुये पीड़ित बालिकाओं की विधिसम्मत काउन्सलिंग सुनिश्चित करायी जाय। ग्राम प्रधान, सभासद व क्षेत्र के संभ्रान्त व्यक्तिओं के साथ भी समय-समय पर गोष्ठी कर उक्त प्रवृत्ति की घटनाओं की रोकथाम हेतु संवाद स्थापित किया जाय।
- **घटनाओं की मॉनीटरिंग/पर्यवेक्षणः**- कतिपय मामलों में यह देखा गया है कि विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम की धारा-4 के क्रम में एफ0आई0आर0 पंजीकृत नहीं किये जाने, धारा-3 में अंकित अपराधों के क्रम में विवेचना एवं साक्ष्य संकलित न करने के कारण अभियुक्तों को तकनीकी आधार पर जमानत का लाभ प्राप्त हो रहा है।
- उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम, 2021 की धारा-4 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किया जाय।

- विवेचना के दौरान घटना से सम्बन्धित, पीड़ित पक्षकार व अन्य का दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-161 के अन्तर्गत निष्पक्ष बयान अंकित किया जाय, जिसमें अपराध कारित किये जाने से सम्बन्धित विशिष्ट प्रश्न पूँछते हुये उनका उत्तर लेखबद्ध किया जाय।
- अभियुक्तों द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-3 के अन्तर्गत वर्णित अपराधों यथा-दुर्व्यपदेशन, बल, असम्यक असर, प्रपीड़न, प्रलोभन आदि द्वारा धर्म परिवर्तन में परोक्ष/अपरोक्ष संलिप्तता से सम्बन्धित साक्ष्य संकलित कर अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास का उल्लेख किया जाय।
- जो भी आरोप लगाये गये हों, उससे सम्बन्धित भौतिक/अभिलेखीय/मौखिक/ इलेक्ट्रानिक या अन्य साक्ष्य एकत्रित किया जाय। आवश्यकतानुसार उसमें फॉरेन्सिक एक्सपर्ट से भी मदद ली जाय। घटना से सम्बन्धित बैनर, पोस्टर, पम्पलेट, आडियो/वीडियो रिकार्डिंग, सोशल मीडिया पोस्ट इत्यादि प्रचार सामग्री, जो प्राप्त हों, का फर्द बनाकर कब्जे में लिया जाय, जिसका अभियोजन में प्रयोग किया जा सके।
- अतः आवश्यकतानुसार विशेष आख्या अपराध (S.R. Case) की पत्रावली खोलकर पर्यवेक्षण सुनिश्चित कराया जाय। मा0 न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने के उपरान्त प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करायी जाय एवं मॉनीटरिंग सेल की बैठकों में इन प्रकरणों की मा0 न्यायालय में प्रगति के सम्बन्ध में चर्चा अवश्य की जाय।
- कमिश्नरेट/जनपदों में नियुक्त समस्त क्षेत्राधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक अपने-अपने अधीनस्थ थानों/क्षेत्रों में उपरोक्त कार्यवाही की नियमित समीक्षा करेंगे तथा प्रगति आख्या कमिश्नरेट/जनपद प्रभारी को उपलब्ध करायेंगे।
- विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन के विभिन्न कारकों की विधिवत समीक्षा कर समय रहते इस गतिविधि को रोकने हेतु ठोस एवं सार्थक उपाय सुनिश्चित किये जाये। घटना घटित होने पर तत्परता से विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। अभिसूचना संकलन, समय से कार्यवाही न करने तथा अभियुक्तों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से की गयी लापरवाहियों/संलिप्तताओं की समीक्षा कर दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध विधिसंगत कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

मैं चाहूंगा कि उपरोक्त निर्देशों का आप स्वयं आत्मसात कर लें तथा जनपद में एक गोष्ठी कर अपने अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों/थाना प्रभारियों को इस निर्देश को भली-भॉति अवगत कराकर अनुपालन करायें। इन निर्देशों में किसी भी स्तर पर शिथिलता/लापरवाही न बरती जाय।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना/कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(विजय कुमार)

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।</u>

1. विशेष पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/अपराध, उत्तर प्रदेश।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, डायल-112, उत्तर प्रदेश।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, वूमेन पावर लाइन-1090, उत्तर प्रदेश।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।